कार्यालय–अधीक्षक किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
सेठी कालोनी, जयपुर ।

क्रमांक:

जयपुर दिंनाक :

निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2016–17हेतजु इस कार्यालय के सफाई कार्य हेतु निविदाएं प्राधिकृत डीलर्स /फर्मस/सेवा–प्रदाताओं से आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	निविदा फार्म की राशि रूपये	अमानत राशि रूपये	अंतिम निर्धारित तिथि
1	कार्यालय परिसर में सफाई कार्य हेतु	1.50 लाख	200/–	7500/–	30–12–16

निविदा फार्म प्रकाश की तिथि से दिंनाक 30.12.16 को 12:00बजे तक कार्य–दिवपसों में कार्यालय सम्य में रोकड़िया से प्राप्त किये जा सकते हे निविदाएं अंकित निर्धारित तिथि 30–12–16 को दोपहर 2:30 बजे तक अमानत राशि के साथ जमा करवाई जा सकती है । जिन्हें इसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 4:00 बजे खोला जायेगा । विस्तृत जानकारी व शत्रे इस कार्यालय समय व कार्य दिवसों में कैशियर के पास देखी जा सकती है ।

अधीक्षक
किशोर गृह, सेठी कालोनी,
जयपुर

कार्यालय–अधीक्षक किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
सेठी कालोनी, जयपुर ।

सफाई कार्य वर्ष 2016–17करने हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र

1– निविदा अधीक्षक (किशोर गृह) सेठी कालोनी, जयपुर के कक्ष में दिंनाक 30–12–2016समय 2:30 बजें प्राप्त हो जानी चाहिये ।

2– यदि निविदा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है तो अधीक्षक, किशोर गृह, सेठी कालोनी, जयपुर के कक्ष में रखे बाक्स में सील बन्द लिफाफे में डाला जावेगा ।

3– यदि निविदा डाक से भेजी जाये तो दिंनाक 30–12–2016को 2:30 बजे तक अधीक्षक, किशोर गृह, सेठी कॉलोनी , जयपुर के कक्ष में पहुंच जानी चाहिये इसके पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।

अधीक्षक
किशोर गृह,सेठी कालोनी,
जयपुर

कार्यालय–अधीक्षक किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग़,
सेठी कालोनी, जयपुर ।

ओर सेः–

अधीक्षक,
किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
जयपुर ।

को,

मैसर्स ——————————————
——————————————

प्रिय,

आपके आवेदन पत्र दिंनाक ——————————और निविदा प्रपत्र की कीमती रूपये 200/– जरिये रसीद जमा कर निविदा दस्तावेज की मांगी की है । अतः सफाई कार्य से संबंधित निविदा दस्तावेज की एक प्रति में मय विस्तृत निविदा की शर्तो के साथ जारी किया जा रहा है । मूल निविदा प्रपत्र भरकर अधीक्षक, किशोर गृह, जयपुर के कक्ष में दिंनाक 30–12–2016समय 2:30 बजें प्राप्त हो जानी चाहिये । प्राप्त निविदाएं उसी दिन 4.00 बजें मध्यान्ह पश्चात खोला जावेगा । कृपया, निविदा एंव संविदा की शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ओर निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्ते स्वीकार करने के टोकन के रूप में हस्ताक्षर करें और अपनी दरें निर्धारित प्रारूप में ही भरकर उस पर हस्ताक्षर करें ।

अधीक्षक
किशोर गृह, सेठी कालोनी,
जयपुर

कार्यालय–अधीक्षक किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
सेठी कॉलोनी, जयपुर ।

विषय :– राजकीय किशोर गृह, सेठी कालोनी, जयपुर की संविदा

ओर से :–

मैसर्स

को

अधीक्षक,
किशोर गृह, बालअधिकारिता विभाग,
जयपुर ।

संदर्भ :– आपकी निविदा सूचना संख्या   दिंनाक

विषयान्तर्गत संदर्भित निविदा के कम में निवेदन है कि :–

1– यह कि मेरे/हमारे द्वारा रूपये 200/– निविदा की राशि नगद रसीद संख्या———————दिंनाक 30–12–2016द्वारा जमा करवा दी गई है, जोकि अधीक्षक, किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग , सेठी कालोनी , जयपुर द्वारा जारी की गई है ।

2– यह कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा संबंधी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा शर्ते स्वीकार करने के रूप में हस्ताक्षर कर दिये गये है । घोषणा पत्र संलग्न परिशिष्ट "अ"

3– यह है कि मेरे/हमारे द्वारा सफाई कार्य के ठेके हेतु दरें निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट "स" शिडयूल ऑफ रेटंस निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर दी है ।

4– यह है कि मेरे/हमारे द्वारा कार्य आदेश मिलते ही कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा ।

5– यह है कि मेरे/हमारे द्वारा धरोहर (बयाना) राशि के रूप में नगद/चालान संख्या   दिंनाक 30–12–2016द्वारा राशि रू.7500/– अंके सात हजार पाच सौ रूपये जमा करवा दी है जिसकी रसीद लिफाफे में डाल दिए है ।पंजीयन संख्या ———————दिंनाक———————तक वैद्य है ।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता

कार्यालय–अधीक्षक किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,
सेठी कालोनी, जयपुर ।

निविदा फार्म

विषय :– कार्यालय परिसर में सफाई हेतु ।

1– निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता

2– सन्दर्भ निविदा विज्ञप्ति कमांक दिंनाक निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/– जरिये रसीद संख्या दिंनाक जमा कराई गई है ।

3– निविदा सूचना संख्या दिंनाक जोकि, अधीक्षक, किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग सेठी कालोनी, जयपुर के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तो की पालना करने के लिये हम सहमत है । तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है, का पालन करने के लिये हम सहमत है ।

4– सफाई कार्य, जो ठेके पर दिया जाना हैं उसका विवरण प्रतिबन्ध एंव शर्तें परिशिष्ठ ''ब'' पर है । हमने ध्यानपूर्वक पढ लिया है और उसी आधार पर दरे दी जा रही है । संलग्न परिशिष्ठ ''स'' ।

5– कार्य आदेश प्राप्त होते ही कार्य करना शुरू कर दिया जावेगा ।

6– परिशिष्ट ''स'' में अंकित दर आदेश देने की दिंनाक से एक वर्ष तक वैद्य होगी, जिसे आपसी सहमति से 6 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा ।

7– बयान राशि (अर्नेस्टी मनी) रूपये 7500/– (अक्षरे रूपये सात हजार पाच सौ रूपये) के पक्ष में डी.डी. संख्या/ अधीक्षक, किशोर गृह , बालअधिकारिता विभाग, सेठी कॉलोनी, जयपुर के पक्ष में बनाकर संलग्न किया गया है ।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट "अ"

घोषणा–पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हे कि हमने निविदा शर्तो के विरूद्ध कोई शर्ते नहीं लगाई है अगर कही अंकित करदी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती है/ मानी जावेगी ।

यह है कि हम श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है । जिसका पंजीयक संख्या————————————दिंनाक——————————है । यदि कोई सूचना गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत करदी गई तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति राशि (सीक्योरिटी) जब्त कर सकेगा ।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता

प्रतिबंध एवं शर्ते

1. संस्था/फर्म कों श्रम विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग से नियमानुसार पंजीकृत होने का वैध प्रमाण पत्र एवं राजकीय कार्यालय अर्द्ध शासकीय कार्यालय भवनो, बहुमंजिला ए–क्लास भवनो में सफाई कार्य करने का दों वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जो कि संबंधित विभाग/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो,निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करनें पर निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. संवेदक कों पाच प्रतिशत राशि रूपयें 7500/ नगद/ रसीद द्वारा निविदा पत्र कें साथ जमा कराना होगा। बिना धरोहर राशि जमा करायें निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा की दरे निर्धारित स्थान "परिशिष्ठ–स " मे अंकों व शब्दो में भरी जावेगी। दरों में काट छांट स्वीकार्य नहीं होगी। संवेदक द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों को दैनिक मजूदरी नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी से कम नही होगी।
4. मोहर बन्द निविदा प्रपत्र मय धरोहर राशि सहित दिनाक 30.12.16 के दिवस दोपहर 2:30 बजें तक अधीक्षक,किशोर गृह, बाल एव अधिकारिता विभाग, सेठी कॉलोनी, जयपुर में कक्ष मे पहुँच जानी चाहिए एव प्राप्त निविदाएं उसी दिन मध्यान्ह पश्चात् 4:00 बजें खोली जावेगी।
5. संवेदक की जमानता कें रूप में ठेके की राशि का 5 प्रतिशत राशि इस कार्यालय कों जमा करवानी होगी, जिससें विभाग में जमा करवाई गई धरोहर राशि को जमानत राशि मे समायोजित का लिया जावेगा। यह राशि ठेकें की अवधि समाप्त होने पर लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह मे लौटा दी जावेगी।
6. न्यूनतम दरो को स्वीकार्य / अस्वीकार्य करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
7. ठेका स्वीकार्य हो जाने की स्थिति मे सफल निविदा दाताओं को 7 दिवस के अन्दर 500/– के स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबध पत्र निष्पादित करना होगा, जों ठेकें की अवधि मे वैध होगा।
8. प्रारम्भ मे सफाई का ठेका एक वर्ष की अवधि कें लियें दिया जावेगा। यदि सफाई कार्य उत्कृष्ट पाया गया तो सफाई कार्य का ठेका 6–6 माह के लिए दोनों पक्षकारों की सहमति से बढाया जा सकेगा।
9. भवन के भूतल,प्रथम तल, गैलेरी, रसोई, बरामदा एव पोर्च इत्यादि मे प्रतिदिन प्रत्येंक दों घण्टें में एक बार सफाई झाडू, पोछा लगााना होगा। कमरो की सफाई प्रातः 7:00 बजें से 10:00 बजें तक सांय 4:00 से 7:00 बजें तक करनी होगी। सफाई कार्यों मे फिनायल का उपयोग भी करना होगा।
10. भवन मे स्थित समस्त तलों कें शौचालय की सफाई का कार्य धुलाई का कार्य प्रतिदिन तीन बार करना होगा । शौचालयों की सफाई फिनायल, तेजाब या हारपिक (आवयकतानुसार) कें उपयोग से करना होगा । शौचालयों में समॅय–समय पर ऐसिड से सफाई तथा भवन कें परिसर कें चारो ओर स्थित सडक पास फुटपाथ एव परिसर कें बाहर फुटपाथ की सफाई भी प्रतिदिन एक बार करनी होगी।
11. भवन की समस्त सीढियों की सफाई प्रतिदिन करनी होगी। भवन कें समस्त कमरों, पोर्च, दरवाजे एवं खिडिकियों के शीशें, खिडकियो कें बेस,शीशो कें दरवाजे, छज्जें एवं अन्य समस्त दरवाजें,छत्जे एव अन्य समस्त दरवाजों एवं खिडकियों की सफाई भी प्रत्येंक सप्ताह करनी होगी।
12. भवन कें समस्त छतों की सफाई का कार्य माह में एक बार करना होगा । भवन कें समस्त कमरो में स्थित ट्यूब लाईट फिक्सचर पखें लाईटं इत्यादि की सफाई प्रत्येक माह मे करनी होगी।
13. भवन कें समस्त तलो पर स्थापित बोर्डो एवं चार्टो की सफाई सप्ताह में करनी होगी।
14. समस्त तलो पर स्थित शौचालयो कें सैनेटरी पाईप जी आई पाईप, कनेक्शनो कें पाईप,मूत्रालय की टकियॉं एवं सैनेटरी पाईपों की देखभाल की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। यदि कोई सामान सफाई के दौरान टूट–फूट जाता तो उसका उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
15. संवेदक को भवन मे पूर्ण स्वच्छता रखनी होगी। संवेदक के कार्य का ठेका अन्य किसी व्यक्ति की सबलेट नहीं कर सकेगा।
16. संवेदक द्वारा लगायें गये सफाई कर्मचारियों की उपस्थित पंजिका भवन के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड कें पास सुरक्षित रखी जावेगी। संवेदक द्वारा अपने कर्मचारियों कों पहचान पत्र मय उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा।
17. भवन कें भूतल, प्रथम तल,किशोर न्याय बोर्ड 1 किशोर न्याय 2 भवन कें बाहरी भाग कें पोर्च,खुला परिसर तथा चारदीवारी कें बाहर की सफाई का कार्य संवेदक करवायेगा।
18. संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में या अन्य कोई त्रुटि पायी जानें पर निविदा कों रदद करनें का अधिकार अधीक्षक, किशोर गृह को होगा।
19. संवेदक द्वारा नियोंजित कर्मचारियों द्वारा कियें गयें किसी कार्य या चुक कें लिए संस्था की जिम्मेदारी नहीं होगी अर्थात इसकें लियें संस्था के बिरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। संवेदक कें कार्मिको द्वारा संस्था का कोई नुकसान किया जाता है तो उसके लिए संवेदक जिम्मेदार होगा और नुकसान की भरपाई करेगा।
20. सफाई कार्यो के विवरण मे दिये गए सफाई कार्यो को करते समय यदि किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एव इसकें मुआवजें आदि देने का भार संवेदक द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसकें लिए किसी भी प्रकार मद्दगार एव जिम्मेदारी नहीं होगा।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर

21. कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटौतियों को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा ।

22. ठेके की अवधि में यदि सफाई कर्मचारियों द्वारा हडताल की जाती है और संबंधित फर्म इस अवधि में भवन की सफाई कार्यो को करानें में असमर्थ रहता है तो संस्था द्वारा अपने स्तर पर सफाई कराने में जो राशि व्यय की जाति है वह राशि संवेदक को देय मासिक बिलो में से अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई जमानत में राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।

23. सफाई की व्यवस्था के लिए संबधित अधिकारी/केयर टेकर, किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग सेटी कॉलोनी जयपुर द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों एवं ठेके की शर्तो की पालना संवेदक को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के संवेदक को कार्य करना होगा।

24. समस्त तलो की सफाई करने के पश्चात् कूडा – करकट एवं कचरे को उचित स्थान पर जला कर उसे भवन परिसर के बाहर उचित स्थान पर डालनें की व्यवस्था करनी होगी।

25. ठेके की शर्तो का उल्लघंन पाये जाने पर संस्था प्रधान को नियमानुसार आर्थिक दण्ड देनें का अधिकार होगा । संवेदक द्वारा आर्थिक दण्ड न देनें की स्थिति में दण्ड की राशि जमानत की राशि में से वसूल की जायेगी।

26. प्रतिदिन सफाई कार्य एवं सैनेटरी कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रत्येक एक कार्य पर 100/– प्रतिदिन का दण्ड जावेगी।

27. ठेके की शर्तो का उल्लघंन होने पर संस्था प्रधान को संवेदक की जोखिम व लागत पर अन्य संवेदक से कार्य करायें जाने का अधिकार होगा । और संविदा निरस्त करने का भी अधिकार होगा।

28. ठेके की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद में निदेशक बाल अधिकारिता विभाग राज जयपुर का निर्णय अंतिम होगा एव संवेदक को मान्य होगा।

29. किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही के लिए न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

उपरोक्त सफाई कार्य संबंधी समस्त शर्ते मैंने/हमनें पढ ली है और उपरोक्त समस्त शर्ते मुझे/स्वीकार है तथा इसकी सनद में हमने प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर कर दिए है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

30– भूतल,प्रथम तल के समस्त कमरे, गैलेरी,लेट्रिन, बाथरूम,सीढिया, भवन के सामने व पीछे का परिसर छत की झाडू–पौछा, कमरो व गैलेरी में स्थित खिडकी दरवाजों के किाडों, पंखे, अलमारियों,टेबिलो एंव कुर्सियो को झाड़ना व फिनायल का पौछा । कांच आदि की कोलीन से सफाई, पायदान से डस्ट हटाना ।

31– सीढिया,पार्टीशन, कमरे, पार्किग का एरिया व अन्य फर्श की सफाई हारपिक,तेजाब तथा फिनायल से करना ।

32– किशोर न्याय बोर्ड के अन्तर्गत कमरे, कक्ष, लेट्रिन, बाथरूम, खिडकी,दरवाजे के किवाडो, पंखे, आलमारियों की साफ सफाई व फिनायल/तेजाब/हारपिक से करना ।

33– उक्त कार्य निम्न समय सारणी अनुरूप सम्पादित होगें :–

(अ) समस्त फर्शो पर गैलरी व सीढियों को छोडकर प्रतिदिन तीन बार झाडू व फिनायल के साथ पोछा ।

(ब) गेलरी व सीढ़िया, प्रवेश लाबी आदि में प्रतिदिन प्रत्येक दो घण्टे में एक बार झाडू व पोछा ।

(स) टेबिल,कुर्सियों, अलमारियों की प्रतिदिन तथा पंखों, दरवाजों, एंव खिडकियों के किवाडों, शीशों की सफाई माह में दो बार ।

(द) शोचालय, बाथरूम व सिंक आदि की सफाई दिन में तीन बार ।

(य) समस्त भवन में मच्छर–मक्खियो व अन्य कीटों के लिए सप्ताह में दो बार हिट/फिनिट आदि का छिडकाव

(र) भवन के बाहरी भाग (चार दिवारी के अन्दर) व चार दीवारी के बाहर भवन की चौडाई में गंदगी व धूल की प्रतिदिन सफाई करना ।

(ल) सिकों में नेप्थली बाल, टायलेट में ओडोनील रखना व इनकी फिनायल व किलनिक पाउडर से धुलाई ।

34– अधिकारी के कक्ष में प्रतिदिन तथा बैठक के समय प्रतिदिन स्प्रै का छिडकाव ।

35– सफाई कार्य उक्त विहित मापदण्डो के अनुरूप करने हेतु 2 मजदूर की नियुक्ति आवश्यक होगी तथा ड्यूटी पर तैनात केयर टेकर के निर्देशानुसार समय पर कार्य सम्पादित करवायेगा ।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर

<u>दरों की सूची</u>

समस्त सफाई कार्य की प्रतिमाह दो कर्मचारी----------एक मुश्त राशि । जिसमें नियमानुसार सफाई कर्मचारी की समस्त (पीएफ/ईएसआई) कटौतियां तथा टैक्स शामिल होगें ।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर

हस्ताक्षर निविदादाता